Print Date:-31/Mar/2026 10:24 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Chitaresh Kumar Mittal
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 31-03-2026 22:24:44

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26030130079

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	340556100	195645000	0	536201100
	योग	340556100	195645000	0	536201100

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 19,56,45,000 (Rupees Nineteen Crores Fifty Six Lacs Forty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2603:0036

Approval Status : e-Sign letter

संख्या :-384309/IV(3)/2026-03(15 वि0आ0) 2026

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 **देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2026**

विषय–वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों के स्ट्रीट लाईट स्थापना सम्बन्धी कार्यों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–5063/51/श0वि0नि0/पं0वि0आयोग– (एल0ई0डी0 लाईट)/2024–25, दिनांक 12.01.2026, पत्र संख्याः–5457/15/श0वि0नि0 (पं0वि0आयोग)/2024 दिनांक 04.02.2026, पत्र संख्याः–5703/श0वि0नि0–15(एल0ई0डी0 लाईट)/2022 टी0सी0।।। दिनांक 18.02.2026, पत्र संख्याः– 6314/श0वि0नि0–15 पंचम राज्य वित्त(एल0ई0डी0 लाईट)/ 2025–26 दिनांक 23.03.2026, पत्र संख्याः–6316 15/श0वि0नि0 (पं0वि0आ0–एल0ई0डी0लाईट)/2022 टी0सी0 दिनांक 23.03.2026, पत्र संख्याः– 6304/ श0वि0नि0–15/(पं0रा0वि0 एल0ई0डी0 लाईट)/2022 दिनांक 20.03.2026, पत्र संख्याः– 6327/श0वि0नि0–15/पंचम राज्य वित्त(एल0ई0डी0 लाईट)/2025–26 दिनांक 23.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न नगर निकायों की स्ट्रीट लाईट, पोल एवं सेंट्रल कन्ट्रोल मानिटरिंग सिस्टम स्थापना कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सहित कार्यों की टी0ए0सी0 द्वारा आंगणनवार औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत रू0 4247.01 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 1956.45 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार मात्र) तालिका के कॉलम–4 में अंकित निकाय के सम्मुख तालिका के कॉलम–4 में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	**स्वीकृत कार्य का नाम**	**आंगणन प्रस्ताव की औचित्यपूर्ण लागत**	**प्रथम चरण में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1.	नगर पंचायत, चमियाला में सेंट्रल कन्ट्रोल मानिटरिंग सिस्टम व एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना कार्य	306.98	122.79
2.	नगर पालिका परिषद महुआखेड़ागंज की सीमान्तर्गत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट एवं पोल की स्थापना कार्य	93.65	56.19
3.	नगर पंचायत लढौरा में स्ट्रीट लाईट, पोल एवं सेंट्रल कन्ट्रोल मानिटरिंग सिस्टम की स्थापना कार्य	252.10	100.84
4.	नगर पंचायत दिनेशपुर में स्ट्रीट लाईट, पोल एवं सेंट्रल कन्ट्रोल	170.33	102.19

File No. UD3-3/3.2/14/2023-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 64561)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/03/2026 08:42 pm

	मानिटरिंग सिस्टम की स्थापना कार्य		
5.	नगर पंचायत कौशल्यापुरी में स्ट्रीट लाईट, पोल एवं सेंट्रल कन्ट्रोल मानिटरिंग सिस्टम की स्थापना	212.87	85.14
6.	नगर पंचायत तपोवन के सीमान्तर्गत हरिद्वार– ऋषिकेश तिराहा से लक्ष्मण झूला की ओर CCMS आधारित स्मार्ट स्ट्रीट लाईटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का कार्य।	197.61	118.56
7.	नगर निगम, देहरादून के घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, किशननगर से बल्लूपुर चौक, सूचना का अधिकार भवन से पुलिया नं0–06 रिंग रोड, तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक स्मार्ट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना कार्य।	487.20	194.88
8.	नगर पालिका परिषद पुरोला के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटों की स्थापना कार्य।	108.85	65.31
9.	नगर पालिका परिषद गदरपुर के अन्तर्गत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट, पोल एवं सीसी0एम0एस0 पैनल की स्थापना कार्य।	218.23	87.29
10.	नगर निगम, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट, पोल एवं सीसी0एम0एस0 पैनल की स्थापना कार्य।	498.76	199.50
11.	नगर पालिका परिषद विकासनगर के अन्तर्गत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट, पोल एवं सीसी0एम0एस0 पैनल की स्थापना कार्य।	199.53	119.71
12.	नगर पालिका परिषद मसूरी के अन्तर्गत लाईब्रेरी चौक से लाबसना की ओर स्मार्ट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट, पोल एवं सीसी0एम0एस0 पैनल की स्थापना कार्य।	181.40	108.84
13.	नगर पालिका परिषद मसूरी के अन्तर्गत कैमल बैंक रोड पर सी0सी0एम0एस0 आधारित स्मार्ट स्ट्रीट लाईट इन्फ्रास्ट्रक्च्र की स्थापना स्थापना कार्य।	171.00	102.60
14.	नगर पंचायत, गूलरभोज के अन्तर्गत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट, पोल एवं सीसी0एम0एस0 पैनल की स्थापना कार्य।	165.89	99.53
15.	नगर निगम, देहरादून के अन्तर्गत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट एवं सीसी0एम0एस0 पैनल की स्थापना कार्य।	982.70	393.08
	योग	**4247.10**	**1956.45**

1. स्वीकृत जा रही उक्त धनराशि आहरित कर योजनान्तर्गत संबधित नगर निकायों को इलैक्ट्रानिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **स्ट्रीट लाईट की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चिकत कर लिया जायेगा कि जिन स्थानों पर स्ट्रीट लाईट की स्थापना की जानी है, उन स्थानों पर उरेडा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट अथवा अन्य किसी योजना से कार्य नहीं किया गया है और ना ही प्रस्तावित है। दोहराव की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शहरी विकास विभाग का होगा।**
3. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्संबंध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का होगा।

File No. UD3-3/3.2/14/2023-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 64561)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/03/2026 08:42 pm

4. कार्यों के सम्पादन में विभागीय वित्त समिति में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यो निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।
6. कार्यों हेतु मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना दिशा–निर्देश–2025 में प्रदत्त निर्देशों/शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अत्यंत अल्प समय अवशेष रह गया है। अतः विषयगत कार्यों हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का उपयोग, निविदा आदि प्रक्रियायें चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाय।
7. विषयगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking of Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का होगा।
8. स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय अर्थात Parking of Fund नहीं किया जायेगा।
9. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय–समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य की समाप्ति के फोटोग्राफ कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे।
10. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यो की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी तथा अभियंता पूर्णरूप से उत्तदायी होंगे।
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आंगणन पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
13. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।
14. कार्यों हेतु उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
15. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025(यथासंशोधित) तथा मितव्ययता के सबंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreetment में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 05 वर्ष तक O&M की कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा एवं उसके पश्चात् सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपने संसाधानों से किया जाएगा।
17. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

File No. UD3-3/3.2/14/2023-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 64561)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/03/2026 08:42 pm

18. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
19. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा शासनादेश संख्या–I/287506/ई–79713/09(150)–2019 /XXVII(1) /2025, दिनांक–31.03.2025 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
20. कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन संबंधित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।
21. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाय। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबधं में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नही की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
22. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E–79713/09(150)–2019/XXVII(1)/2025, दिनांक–31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।
23. स्वीकृत की जा रही धनराशि का अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, निकाय का अंश व्यय होने संबंधी प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और तदनुसार अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी। तत्संबंध में प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी को होगा और तदोंपरांत शहरी विकास निदेशालय के संबंधित अधिकारी का होगा।
24. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–01–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अन्तर्गत मानक मद–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के कम्प्यूटर जनित संख्याः–I/384280/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न–अलॉटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 31-03-2026
20:39:10

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

No. UD3-3/3.2/14/2023-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 64561)
erated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/03/2026 08:42 pm

संख्या–384309 ()/IV(3)/2026–03(15 वि0आ0) 2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/टिहरी/हरिद्वार/देहरादून/उत्तरकाशी/पिथौरागढ।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/टिहरी/हरिद्वार/देहरादून/उत्तरकाशी/पिथौरागढ।
7. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय (द्वारा–शहरी विकास निदेशालय)
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD3-3/3.2/14/2023-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 64561)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, Review Officer-Urban Development Section-3-MH, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 31/03/2026 08:42 pm